



नवीन प्रकरण - 1604/18

माननीय-राजस्व मण्डली, ग्वालियर म0प्र0 ।

प्रकरण क्रमांक

/2017-18 पुनरीक्षण & भिण्ड &

III/मिगरामी/भिण्ड/भू.रा/2018/1604

श्री प्रमोद गोहदकर, अधि-
कारक उपाय विभागा 7/3/18
को प्रहारा

C.F. 27/3/18

भिण्ड
7/3/18

प्रमोद गोहदकर
अधीकारक

1- सुख रामकली देवरा पति लज्जाराम
आयु 71 वर्ष,

2- हरनारायण आयु 50 वर्ष, पुत्र लज्जाराम

3- मुन्नालाल आयु 47 वर्ष, पुत्र लज्जाराम

निवासीगण ग्राम गंगादास का पुरा, तहसील
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0 ।

---- आवेदकगण

बनाम

1- होतमसिंह आयु 60 वर्ष, पुत्र मुंगाराम

2- मुन्नालाल आयु 55 वर्ष पुत्र मुंगाराम

जाति ब्येल निवासीगण ग्राम तिरसोदा
तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

3- किशानलाल आयु 43 वर्ष, पुत्र लज्जाराम

4- कलियान आयु 39 वर्ष पुत्र लज्जाराम कुशावह

निवासीगण गंगादास का पुरा, तहसील गोहद
भिण्ड म0प्र0

-- अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता

विरुद्ध आदेश दिनांक 27/10/2017 न्यसयालय अनुविभागीय

अधिकारी & राजस्व & गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 प्रकरण क्रं.

54/2015-16 अपील माल ।

श्रीमान्जी,

सेवा में आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण याचिका

निम्नलिखित प्रस्तुत है:-

1- यह कि आवेदकगण तथा अनावेदक क्रमांक-3 व 4 के हक में


3

1/2/18

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2018/1604

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद गोहदकर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	